शोध मंथन Vol. XV No.III July.-Sept. 2024 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Available at: *http:/shodhmanthan.anubooks.com*

भारत में सुशासन

प्राप्तिः 02.08.2024
स्वीकृतः 15.09.2024

58

डॉ0 टेकचन्द
असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान,
राजकीय महाविद्यालय, सहसवान, बदायूं
ईमेलः *tekchand.kumar389@gmail.com*

सारांश

शोध से पता चलता है कि सदियों से गुलामी की जंजीरों में जकडे भारत ने जब 15 अगस्त 1947 को गुलामी की जंजीरों को तोडकर स्वाधीनता प्राप्त की तब प्रत्येक भारतीय जनमानस के मस्तिक में एक प्रमुख प्रश्न बार–बार उभर रहा था। कि अग्रेजों द्वारा आर्थिक रूप से रहित शोषित व सामाजिक और राजनैतिक रूप से छिन्न भिन्न एवं जर्जर भारत को किस प्रकार विकास की मुख्य धारा में लाया जाये। इसलिए भारत की जनता की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार कर उनको विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए तत्कालीन भारत सरकार द्वारा वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास कार्यकम चलाया। किन्तु तत्कालीन लोकसेवकों के भ्रष्ट आचरण व लाल फीताशाही के कारण सामुदायिक कार्यकम असफल हो गया। तत्पश्चात भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा भारत में समाज की अंतिम पंक्ति में खडे व्यक्ति को विकास की कडी में शामिल करने के लिए सन 1959 में राजस्थान के नागोर जनपद से स्व शासन अर्थात स्थानीय शासन के रूप में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारम्भ किया गया। जिससे कि विकास कार्यों से देश की जनता को सीधे जोडा जा सके। वर्तमान में भारत में सुशासन की स्थिति बहुत ही दयनीय है। आज देश में जिस प्रकार बेरोजगारीए भुखमरीए भ्रष्टाचारए जातिवादए साम्प्रदायिकता और अपराध बड रहे हैं उससे वोद्ध होता है कि आचार्य कौटिल्य और विश्व बेंक द्वारा सुझाये गये सुशासन के सूचकों या कारकों के आधार पर कि किसी भी सरकारी और अर्ध सरकारी विभाग या संस्था में सुशासन व उसके कारक दिखाई नहीं देते। सभी स्थानों पर भृष्टाचार और नौकरशाही विद्यमान है। कहीं भी कोई भी लोकसेवक और जनप्रतिनिधि अपने आप को जनता के प्रति जबाबदेह और उत्तरदायी नहीं समझता। विधि का शासन और सूचना का अधिकार सब देश की भोलीभाली जनता को गुमराह करने या बहकाने की बातें हैं। वर्तमान में जिस

प्रकार बडे–बडे घोटालों में विधायकोंए सांसदों मंत्रियों मुख्यमंत्रियों राज्यपालों नौकरशाहों व जजों की संलिप्तता पाई जा रही है। उससे यही प्रमाणित होता है भारत में सुशासन का पूर्णतः अभाव है।

मुख्य बिन्दु

भ्रष्टाचार, लालफीताशाही, न्यायसगंत, सुशासन, संविधान, नौकरशाही

सुशासन से अभिप्राय ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें न तो किसी प्रकार का भय होए न भूख हो और न ही भृष्टाचार। कहने का तात्पर्य यह है कि सुशासन न केवल प्रशासनिक भृष्टाचार मुक्त शासन होगा अपितु प्रशासन में पारदर्शिता भी होगी। साथ ही साथ प्रशासन जनता के प्रति जबाबदेह और उत्तरदायी भी होगा। सुशासन एक ऐसी शासन प्रणाली होगी जिसमें जनता को सूचना का अधिकार भी प्राप्त होगा तथा सुशासन वैज्ञानिक व प्रशासनिक सिद्धान्तों पर आधारित शासन होगा। जिसमें प्रशासनिक दृष्टि से आदेश की एकताए पद सोपान नियंत्रण का क्षेत्रए भर्ती प्रशिक्षण पदोन्नति आदि की बेहतर व्यवस्था होगी। जिससे प्रशासन में मनोबल बना रहेगा तथा नियोक्ता कर्मचारी सम्बंध बेहतर बने रहेंगे।

सुशासन में नौकरशाही का रूप आदर्श होगा और वह जनता के लिए कार्य करेगी। नौकरशाही जनप्रतिनिधि व मंत्री सम्बंध सहयोगात्मकए समन्वयात्मक एवं जन कल्याणकारी होंगे। सुशासन में संचार की उत्तम व्यवस्था होगी तथा नेतृत्व सही व्यक्ति के हाथ में होगा। प्रशासन का सम्बंध विकास से जुडा होगा तथा वित्तीय प्रशासन जनहितकारी उद्देश्यों से परिपूर्ण होगा। प्रशासन में संलग्न लोग राष्ट्निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध होंगे।

मिनोचा के अनुसार –सुशासन वह है जहां राजनीतिक उत्तरदायित्वए स्वतंत्रता की उपलब्धि कानूनपालक, नौकरशाही, उत्तरदायित्व व सूचना में पारदर्षिता जो प्रभावी एवं कुशल और सरकार तथा समाज में सहयोगी हो।

पनन्दीकर के अनुसार – सुशासन का अभिप्राय उस राष्ट्राज्य से है जो जनता को शान्तिपूंर्णए व्यवस्थित, समृद्ध, उचित सहभागितापूंर्ण जीवन व्यवतीत करने के लिए निर्देशित करता है।

Concise Oxford Dictionary 1990 – ने सुशासन की परिभाषा इस प्रकार दी है – संचालित करने के कार्य और रीति संचालित करने का कार्यकलाप तथा कार्य करना है जबकि शासन अन्य बातों के साथ–साथ राज्य और जनता आदि पर सत्तापूर्ण नियंत्रण तथा संगठन आदि की नीति और कार्यक्रमों को संचालित करना है। इसका अर्थ है कि राज्य में लोगों के कार्यों को नियमानुसार वैधानिक सत्ता द्वारा कार्यों का संचालन करना। अतः जनता को लोकतंत्र में आस्था होने के कारण सुशासन को जनता की सरकार जनता द्वारा और जनता के कल्याण के लिए कार्य करना है।

भारत में सुशासन की ऐतिहासिक –

सुशासन का अध्ययन से वोध होता है कि भारत में प्राचीन काल में आदर्श राज्य अथवा रामराज्य सदशासन समकक्ष था जोकि राजनीतिक विचारकों के लिए लम्बे समय तक स्वप्नदर्शी

आदर्श बना रहा। सुशासन के सूचकों में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है विशेषकर भारत में। एल एन शर्मा और सुनिता शर्मा ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र से सुशासन के दस सुचकों को इसलिए चुना है कि यह पुस्तक किसी भी पश्चिमी लेखक द्वारा लिखी गयी पुस्तक से श्रेष्ठ आधुनिक और व्यवहारिक शासकीय नियमों से परिपूर्ण है।

राजतंत्र के युग में जहां असमानता विद्यमान थी उस दौर में केवल कौटिल्य ने राजा को जनता का सेवक या जन सेवक कहा है। उसने राजा को धर्म के अधिन रखा और कहा कि प्रजा के सुख में राजा का सुख है और प्रजा के कल्याण में ही राजा का कल्याण है। राजा को अपना हित प्रिय नहीं होना चाहिए अपितु जनता का हित प्रिय होना चाहिए।

प्राचीन राजनीति के प्रकाण्ड पंडित आचार्य कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ अर्थशास्त्र में सुशासन के लिए दस सूत्र सूझाए गये हैं। जिनको व्यवहार में लाकर किसी भी युग में सुशासन स्थापित किया जा सकता है।

कौटिल्य द्वारा सूझाए गये सूचक –

1. राजा का अपना व्यक्तित्व कर्तव्य में विलय होना चाहिए – सुशासन के लिए आवश्यक है कि शासक को अपनी व्यक्तिकता को अपने कर्तव्यों हित में त्याग देना चाहिए। के0 पी0 जायसवाल ने कौटिल्य के राजा के लिए संवैधानिक दास शब्द का प्रयोग किया है। इसका आशय यह है कि संवैधानिक सरकार पर संवैधानिक प्रतिबंध होते हैं। सुशासन में शासन निरंकुश असीमित तथा सत्तावादी नहीं हो सकता। क्योंकि कौटिल्य का राजा साप्तांग की सलाह पर कार्य करता था। शासक का नेतृत्व इस बात पर निर्भर करता कि वह अपने कार्यों का समय पर सुचारू रूप से परिपालन करे। आधुनिक भारतीय राजनीतिक दर्शन में राजनीति पर लोकनीति का नियंत्रण देखने को मिलता है। आचार्य कौटिल्य ने राजकीय दूरदर्शिता का परिचय देते हुए यह व्यवस्था की थी कि केवल राजनीति और सरकार पर ही नहीं अपितु समाज पर भी अंकुश होना चाहिए और इसके लिए कौटिल्य ने दण्ड नीति का प्रवधान किया था।

2. उचित निर्देशित शासन – जनता के कल्याण के लिए दूसरा सूचक उचित निर्देशित शासन का होना है। उचित मार्ग दर्शन के अभाव में व्यक्तिगत प्रतिबद्धता परिवार अथवा उसकी इच्छा और सनक सम्मिलित नहीं है। इसका आशय यह है कि लोक सेवक अपनी प्रकृति के कारण संवेदनशील उत्तरदायी नहीं होता है। औपनिवेशिक विरासत के कारण यह और भी सत्य है। संघात्मक व्यवस्था में लोकसेवक सेवक बनने के बजाय स्वामी और माई–बाप बन जाते हैं।

3. लक्ष्य की उपेक्षा किए बिना अतिशय से बचना – सुशासन में लक्ष्य की उपेक्षा किये बिना अतिशय से बचना चाहिए। इसका आशय यह है कि राज्य को जनहित में कार्य करना चाहिए न कि विदेशी इकाइयों के दबाब में कठोर कदम उठाना चाहिए। 15 अगस्त 1999 को देश के तत्कालीन राष्ट्पति श्री के0 आर0 नारायण जी ने देश के नाम अपने संम्बोधन में चेतावनी देते हुए कहा था कि लापरवाह उदारीकरण से समाज के कुछ लोगों की उन्नती होगी जबकि बहुसंख्यक निःसहाय हो जायेंगे। महान राजनीतिक विचारक आचार्य कौटिल्य का कहना था कि राज्य कृषि व्यापारए उद्योग

तथा पशुपालन के विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है।

4. राजा और मंत्रियों का अनुशासित जीवन – आचार्य कौटिल्य ने राजा के अनुशासित जीवन आचरण संहिता की व्यवस्था की थी। यह राजा के साथ साथ मंत्रियों और अधिकारियों के लिए भी आवश्यक थी। सुशासन की स्थापना के लिए अनुशासित जीवन आवश्यक है। यही कारण कि भारत के प्रायः समस्त धार्मिक ग्रंथों में सबके लिए अनुशासित जीवन यापन पर बल दिया गया है। यही कारण है कि प्राचीन भारत में सुशासन विद्यमान था क्योंकि मंत्री अधिकारी और अधिकांश नागरिकों का चरित्र ;आचरणद्ध अनुशासित था। वर्तमान समय में न तो अनुशासित और न ही चरित्र। इसलिए अब देश में शासन प्रशासन में सुशासन का पूर्णतः अभाव है।

5. राजा और लोक सेवकों का निश्चित वेतनमान – सभी लोक सेवकों के वेतन और भत्ते उचित और निश्चित होने चाहिए। आचार्य कौटिल्य ने राजा के लिए एक निश्चित वेतन का प्रावधान किया था उससे अधिक कुछ नहीं। राजा के परिवार के सदस्यों को निश्चित वेतन दिया जाता था जिसमें मंत्ररपरिषद की स्वीकृति के बिना वृद्धि नहीं की जा सकती थी। ग्रीस में कौटिल्य के समकालीन प्लेटो के शासकों को कोई निर्धारित वेतन व भत्ता नहीं मिलता था। शासक राज्य के खर्चे पर कार्य करते थे।

6. कानून व्यवस्था राजा का मुख्य कर्तव्य – कौटिल्य के अनुसार राजा को प्रजा की सेवा के लिए वेतन मिलता है। इसलिए राजा का मुख्य कर्तव्य कानून व्यवस्था बनाए रखना है जिससे लोगों के जीवन तथा स्वतंत्रता की रक्षा की जा सके। यदि इस दिशा में राजा लापरवाही वरतता है या उदासीन रहता है तो उसे इसका परिणाम भी भुगतना पडेगा। इसी प्रकार यदि नागरिकों की सम्पत्ति की चोरी होती है और वह प्राप्त नहीं है तो नुकसान की भरपाई राजा को अपने खजाने से करनी होगी। इस बिन्दू से यह स्पष्ट पता चलता है कि कौटिल्य सुशासन जैसे कारक को लेकर कितना सजग और गम्भीर हैं।

7. लेखपाल एवं लेखक की सम्मान जनक स्थिति – कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लेखक अथवा लेखपाल को विशेष महत्व प्रदान किया है। लेखक का समाज में उच्च स्थान था इसलिए वे अमात्य के समान थे। लेखक का चयन बडी ही सावधानी पूर्वक किया जाता था क्योंकि उनमें शाही आदेश परिपत्रए विज्ञप्ति और रिट का प्रारूप लिखने की क्षमता का होना आवश्यक था। जैसा कि हम जानते वर्ततान समय में जो भी त्रुटिपूर्ण विधि निर्माण होता है उसे हमारी न्यायपालिका द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है।

8. अधिकारियों के विरूद्ध दण्ड की व्यवस्था – कौटिल्य के अनुसार सुशासन की स्थापना के लिए भ्रष्ट शासकीय कर्मचारियोंए अधिकारियों व न्यायधीशों आदि के विरूद्ध निवारक और दण्डात्मक कार्यवाही करने की आवश्यकता होती है। भ्रष्ट आचरण के चलते प्रशासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा सरकारी धन का दुरूपयोग किया जाता है। अतः ऐसे लोक सेवकों पर कठोर नियंत्रण और निरीक्षण की आवश्यकता है। वर्तमान समय की अपेक्षा कौटिल्य ने भ्रष्ट लोक सेवकों के लिए अधिक कठोर दण्ड की व्यवस्था थी।

9. सुयोग्य लोक सेवकों का चयन – आचार्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य के सफल संचालन के लिए योग्य प्रशासकों व मंत्रियों के चयन का उल्लेख किया है। कौटिल्य का मानना था कि राजा को समय–समय पर योग्य मंत्रियों और लोक सेवकों का चयन करते रहना चाहिए।

10. कौटिल्य द्वारा प्रशासन की कुछ अन्य योग्यताओं का भी वर्णन किया गया है जोकि आज की प्रशासन व्यवस्था के लिए अनुकरणीय हैं। जैसे प्रशासन में एक रूपताए योग्य मंत्रीए नेतृत्व की क्षमताए बुद्धि सम्पन्नताए कर्मठताए अच्छा नैतिक आचरण व निर्णय करने में बिलम्ब न करना आदि का होना भी आवश्यक है।

स्वतंत्र भारत में प्रशासनिक सुधार या सुशासन की स्थापना के लिए गठित की गयीं समितियां और आयोग –

स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद भारत में संघीय शासन व्यवस्था लागू की गई। इसके तथा विभाजन के परिणाम स्वरूप प्रशासकीय सुधारों की आवश्यकता तीव्रता से अनुभव की गयी। अतः तत्कालीन केन्द्रीय व राज्य सरकारें इस समय यह महसूस कर रहीं थीं कि उन्हें नवीन राजनीतिकए सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था को स्थापित करने और जनता की आकांक्षाओंए इच्छाओं के अनुरूप विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रशासन में अनेक सुधार किए जाने की आवश्यकता है। इस पर विचार करने के लिए केंन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर कई समिति और आयोगों का गठन किया गया। जैसे –

1. सचिवालय पुनर्गठन समिति या बाजपेयी समिति 1947
2. मित्तव्ययिता समिति 1948
3. आयंगर समिति 1949
4. गोरवाला प्रतिवेदन 1951
5. गोपाल स्वामी प्रतिवेदन 1952
6. पाल एच एपिलबी 1952
7. के संथानम समिति प्रतिवेदन 1962
8. प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966
9. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 आदि।

विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार सुशासन

वर्ष 1992 में विश्व बैंक द्वारा जारी अपनी शासन और विकास नामक रिपोर्ट में सुशासन अर्थात गुड गर्वनेंस को विकास के लिए देश के आर्थिक एवं सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति का प्रयोग करने के तरीके के रूप में परिभाषित किया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की आार्थिक सामाजिक आयोग द्वारा एशिया पेसिफिक देशों में सुशासन की स्थापना के लिए 08 कारक सुझाए गये हैं यथा – 1 जबाबदेही 2 उत्तरदायित्व 3 पारदर्शिता 4 सूचना का अधिकार 5 विधि का शासन 6 जन सहभागिता 7 सहमति अभिमुख शासन 8 न्याय संगत एवं संयुक्त शासन

जबाबदेही – जबाबदेही व उत्तरदायित्व प्रशासन में एक अहम भूमिका का निर्वाह करने वाले शब्द हैं। इनमें मात्र सूचना का अधिकार व विधि का शासन और पारदर्शिता को और सम्मिलित कर दिया जाये तो उपरोक्त सभी गुंण सुशासन का आधार बन जाते है। जबाबदेही से आशय है कि प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी अपने सभी कार्यों के लिए जिन कार्यों को उन्हें सोंपा गया है के लिए जनता के प्रति जबाबदेह होंगें। जिससे कि उन्हें इस बात का एहसास रहे कि वे इस देश की जनता के सेवक हैं स्वामी नहीं। ऐसा होने से प्रशासन प्रशासकीय कार्यों और निर्धारित विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने सफल होगा।

उत्तरदायित्व – उत्तरदायित्व व जबाबदेह शब्द प्रशासन में लगभग समान रूप से प्रयुक्त किये जो हैं। और इनको सामान्य रूप से पर्यायवाची मान लिया जाता है। किन्तु ये शब्द पर्यायवाची न होकर अलग अलग हैं। इनमें जो सूक्ष्म अन्तर है वह यह है कि जहां जबाबदेह शब्द विधिक रूप लिए हुए है वहां उत्तरदायित्व शब्द नैतिकता का वोध कराता है। उत्तरदायित्व से हमारा अभिप्राय है कि प्रशासनिक कर्मचारी या अधिकारी या हम कह सकते हैं कि जिस कार्य को जिस पदाधिकारी को सोंपा गया है उस कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर या कमी आने पर कमी त्रुटि का उत्तरदायित्व उसी पदाधिकारी का होगा और उस त्रुटि के लिए उसे ही दोशी ठहराया जायेगा किसी अन्य को नहीं।

पारदर्शिता – जिस प्रकार सुशासन के लिए जबाबदेही और उत्तरदायित्व आवश्यक है उसी प्रकार सुशासन के लिए पारदर्शिता भी आवश्यक है। पारदर्शिता से हमारा तात्पर्य है कि सरकार और प्रशासनिक अधिकारी क्या और किस प्रकार से कार्य करते हैं या कर रहे हैं ? से जनता अर्थात नागरिकों को अवगत कराया जाये। सरकार द्वारा लिए जा रहे नीतिगत निर्णयों और प्रशासनिक मशीनरी द्वारा किये जा रहे कार्य उसी प्रकार जनता के सामने पेश होने चाहिए जिस प्रकार वह वास्तविक रूप में क्रियांवित हो रहे हैं।

सूचना का अधिकार – सामान्य रूप से सूचना का अर्थ जानने के अधिकार से लगाया जाता है। चुंकि सरकार का कुछ कार्य गोपनीय होता है। इसलिए सरकार के जिस कार्य को गोपनीय रखा जाना आवश्यक है उसी कार्य को गोपनीय रखा जाना चाहिए। न कि सरकार के हितों को साधने वाली सूचनाओं को। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार लोकतांत्रिक देश में सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए। इसका स्पष्ट उल्लेख संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसम्बर 1948 को जारी किये गये विश्व मानवाधिकारों की घोषणा में किया गया है।

विधि का शासन – विधि के शासन से आशय ऐसी शासन प्रणाली या कानून व्यवस्था से है जिसके अर्न्तगत प्रत्येक नागरिक के साथ राज्य द्वारा किसी भी प्रकार का जाति, धर्म, भाषा, लिंग, रंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न किया जाये। अर्थात सभी नागरिकों को समान रूप से कानूनी अधिकार व कानूनी संरक्षण प्राप्त हो।

जनसहभागिता – जनसहभागिता से आशय है कि जो विकास कार्य किसी भी स्तर पर जन कल्याण या विकास के लिए चलाये जा रहे हैं उन कार्यों में जनता को भी सहभागी बना लिया जाये।

चाहे वे कार्य राजनीतिक हों, आर्थिक हों, या सामाजिक और सांस्कषतिक। ऐसा करने से विकास कार्यों में आने वाली बाधाओं को टाला या समाप्त किया जा सकेगा। तथा इससे कार्य अतिशीघ्र कुशल तरीके से संचालित हो सकेगा।

सहमति अभिमुख शासन – जन सहमति अभिमुख शासन से अभिप्राय है कि सरकार जो भी कार्य करती है वह जन स्वीकार्य और न्याय संगत होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार द्वारा जो नीतियां बनायी या निर्णय लिए जायें वह कुछ व्यक्ति विशेष के हितों को पूरा करती हों या विशेष लाभ पहुंचाती हों। आम सहमति उन्मुख निर्णय लेने से यह सुनिश्चित होता है कि सभी नागरिकों की सामान्य न्यूनतम जरूरत पूरी की जा सकती है जो किसी भी नागरिक के लिए हानिकारक न हो। यह जन समुदाय के सर्वोत्तम हितों को पूरा करने के लिए व्यापक सहमति के साथ साथ विभिन्न हितों की मध्यस्थता करता है।

न्याय संगत शासन – न्याय संगत शासन से तात्पर्य है कि शासन में सुशासन हो। शासकीय स्तर पर किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का जाति, धर्म, लिंग, भाषा व क्षेत्र विशेष के आधार पर कोई भेदभाद न किया जाये। सरकार, द्वारा जनता के विकास के लिए चलाई जा रही विकास योजनाओं का लाभ राज्य के सभी नागरिकों को प्राप्त हो। राज्य का कोई भी नागरिक सरकारी योजनाओं से अछुता न रहे।

सन्दर्भ

1 डॉ0 टेकचन्द रत्न : पंचायतीराज संस्थाओं की सफलता में सुशासन की भूमिकाए प्रकाशकः अनु बुक्स मेरठए पृष्ठ संख्या 10–16 वर्ष 2023
2 आर सी शेखर : सुशासन के अन्य नामए आई0 जे0 पी0 ए0 जुलाई – सितम्बर 1998
3 बी0 के0 : परिभाषित सुशासनए आई0 जे0 पी0 ए0 में प्रकाशित संपादकीय अंश 1998
4 विश्व बैंक : सुशासनए विश्व बैंक के अनुभवए वाशिग्टंन डी0सी0 विश्व बैंक प्रकाशनए 1994
5 अवस्थी एंड अवस्थी : लोक प्रशासन के सिद्धांत ।
6 बी0 एल0 फाडिया : लोक प्रशासनए सिद्धांत एवं व्यवहार।
7 एल0 एन0 शर्मा व सुष्मिता शर्मा : कोटिल्य द्वारा बताए गये शासन के सूचक आई0 जे0 पी0 ए0 में प्रकाशित संपादकीय अंश नई दिल्ली vol xliv no – 3 एम0जे0पी0आर0यू0 बरैली।